



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-106- का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2019-6-काविनी एवं वे०प्र०/2018 दिनांक 29/01/2019

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विभिन्न सेवा संवर्गों की वेतन विसंगतियों का परीक्षण कर संस्तुतियों दिये जाने हेतु गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

2- दिनांक 19.02.2009 से दिनांक 31.12.2010 तक नियुक्त अवर अभियन्ताओं को अनुमन्य ग्रेड वेतन ₹0 4200/- के सापेक्ष वेतन बैंड-2 (9300-34800) के प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन स्तर ₹0 9860/- पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि एवं दिनांक 01.01.2011 से दिनांक 30.12.2015 तक नियुक्त अवर अभियन्ताओं को अनुमन्य ग्रेड वेतन ₹0 4200/- के सापेक्ष वेतन बैंड-2 (9300-34800) के प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन स्तर ₹0 9860/- पर 01 वेतन वृद्धि अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उपरोक्त अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्यता इस प्रतिबन्धाधीन होगी कि देयता की तिथि से मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा एवं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व तक किसी भी प्रकार के अवशेष की देयता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं०-106-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/ उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
11. महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

12. समस्त अधीक्षण अभियंता, उपहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि०।
15. अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
19. कम्पनी, सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
20. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,


(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

